का विभाग

विषय :

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेज, जबलपुर।

पूर्व पृष्ठ से :-

पंजी क. 3281 / 2015 / दो / सी-1 दिनांक 29.06.2015

कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेज, जबलपुर से प्राप्त अपील दिनांक 22.06.2015 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

उपरोक्त अपील नियंत्रण प्राधिकारी अति. पुलिस महानिदेशक (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी), भोपाल के आदेश दिनांक 02.06.2015 द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र अमान्य किये जाने से दुखित एवं असंतुष्ट होकर ' उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।

यदि मान्य हो तो प्राप्त अपील की छायाप्रति अति. पुलिस महानिदेशक, (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी). भोपाल, नियंत्रण प्राधिकारी को भेजकर विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत । भरानुसार स्वच्छ प्रिते एक्सा प्रस्तुत ही

p1-25/c

(3)

छ्य्बीस-२ सचिवालय

विषय :

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005— कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेज, जबलपुर।

का विभाग

--00--

पूर्व पृष्ठ से :-

पंजी क.3631 / 2015 / दो / सी-1 दिनांक 15.07.2015

---00----

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

विभागीय पत्र दिनाक 04.07.2015 द्वारा कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेस, जबलपुर से प्राप्त अपील दिनांक 22.06.2015 की छायाप्रति अति. पुलिस महानिदेशक, (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसीज) भोपाल को भेजकर विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु लिखा गया था।

उपरोक्त के संबंध में अति. पुलिस महानिदेशक, रा.औ.सु.बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी ने पत्र दिनांक 14.07.2015 द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है:-

1. अपीलार्थी श्री आनंद मोहन तिवारी को कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेस, जबलपुर के नाम से निजी सुरक्षा एजेंसी का लायसेंस पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन द्वारा दिनांक 28.12.2008 को एक जिला जबलपुर हेतु जारी किया गया था, जिसकी वैधता अवधि 28.12.2013 तक थी। अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कार्य करने हेतु निर्धारित फीस के साथ नवीनीकरण का आवेदन पत्र अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 24.04.2014 को प्रस्तुत किया गया, जबिक नवीनीकरण आवेदन की वैधता अवधि 45 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना अधिनियम/नियम में प्रावधानित है। आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाकर पुलिस अधीक्षक, जबलपुर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, चरित्र सत्यापन एवं चालान सत्यापन हेतु जारी किया गया।

P- 27-29/C

P-26/C

p-27-29 c

P-10/c

छब्बीस-२ सचिवालय

िषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005— कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेस, जबलपुर।

---00----

पूर्व पृष्ठ से -

अपीलार्थी को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु दिनांक 05.06.2014 को लिखा गया था, अपीलार्थी द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया। पुलिस अधीक्षक, जबलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 06.08.2014 अनुसार अपीलार्थी द्वारा सुरक्षा गार्ड एवं सुपर वाईजरों का प्रशिक्षण कराना नहीं पाया गया। अपीलार्थी द्वारा लायसेंस के नवीनीकरण हेतु निर्धारित चेक लिस्ट का जबाव एवं अन्य जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन्हें दिनांक 26.02.2015 को समक्ष में सुनवाई हेत् उपस्थित होने हेतु लिखा गया था, किन्तु अपीलार्थी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 27.05.2015 को उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उन्हें पुलिस अधीक्षक, जबलपुर द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के तथ्यों से अवगत कराया कि म०प्र० निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2012 की धारा 5(2) पर निहित प्रावधानुसार नवीनीकरण का आवेदन पत्र अमान्य किया जाकर, नस्तीबद्ध किया गया, जिसकी सूचना दिनांक 02.06.2015 द्वारा अपीलार्थी को दी गई।

3. अपीलार्थी का यह कथन सही है कि प्राप्त लायसेंस की वैधता अविध 28.01.2013 तक प्राप्त थी। अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में प्रावधान अनुसार लायसेंस की अविध समाप्ति से कम से कम 45 दिन पूर्व फीस के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। आवेदक द्वारा निर्धारित अविध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं दर्शाया गया है।

का विभाग

P. 13/6

4

छन्बीस-२ सविवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेस, जबलपुर।

---00----

पूर्व पृष्ठ से -

लायसेंस की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपीलार्थी अनाधिकृत रूप से सुरक्षा एजेंसी का संचालन करते रहे।

- 4. अपीलार्थी का कथन आधारहीन है कि सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए आवेदन पत्र पर युक्तियुक्त निर्णय नहीं लिया गया, जबकि आवेदन पत्र के संबंध में आये तथ्यों के परीक्षण किये जाने के उपरांत निर्णय लिया गया, जो विधि सम्मत है।
- 5. अपीलार्थी का यह कहना सही नहीं है कि वर्ष 2014 में जबलपुर क्षेत्र के लिये प्रशिक्षण केन्द्र को अनुमोदित नहीं किया गया था, जबिक वर्ष 2013 में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 21 प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी गई थी, जहां आवेदक को अपने गार्ड/सुपर वायजर का प्रशिक्षण कराना चाहिए था। यह जरूरी नहीं है कि अपीलार्थी के शहर में ही प्रशिक्षण संस्थान हों। अधिनियम/नियम में वर्णित प्रावधानुसार प्रशिक्षण कराना अपीलार्थी की जिम्मेदारी है। अपीलार्थी का उक्त तर्क कोई बचाव प्रदान नहीं करता है।

अतः अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं करने से अपील अमान्य किये जाने योग्य है।


अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत।

MRm)

श्रामन्वेदानी

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) का विभाग एक्ट 2005- कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेस, जबलपुर। पूर्व पृष्ठ से -वेष तेत्र के ध्रिक्षायकार अधिता हित हित्या हित हिता हिता हित कार्म हें पा रवा प्राथमें में Eldio Asida 12/8/2015 D नामचंदान 12-8-15 12-8 2015 अमिल ३५ मा १६ हे व मर ली 37-8-15 सुववार् में उपस्पत शास्त्रकारी

28 8 15



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसीस (रेग्यलेशन) एक्ट 2005- कामर्शियल सिक्य्रिटी सर्विसेज, जबलपुर। (रिट पिटी. क. 19/2016 वि0 शासन)

---00---

पूर्व पृष्ठ से :-

पंजी क.1184/2016/दो/सी-एक्स दिनांक 29.02.2016 ---00---

का विभाग

विशेष पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी से प्राप्त टीप दिनांक 27.02.2016 का कपया अवलोकन करें।

P-43/C

श्री आनंद मोहन तिवारी, कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेज, जबलपुर द्वारा रिट पिटी. क. 19/2016 वि० शासन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गयी है।

उपरोक्त याचिका क. 19/2016 में विशेष पुलिस P-43-107/ महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसी, भोपाल ने आदेश दिनांक 27.02.2016 द्वारा प्रकरण में हिना A श्री रामबाबू पाठक, उप पुलिस अधीक्षक, (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर प्रतिरक्षण आदेश

अतः याचिका क. 19/2016 में प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेत् नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेंगे।

जारी करने का अनुरोध किया गया है।

310310

भिरामे के पहले ०१८ के शासनादेश

3-3-16 St 21 Hickory

छब्बीस-२ सचिवालय

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस विषय: (रेग्युलेशन) एक्ट 2005- कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेज, जबलपुर। (रिट पिटी. क. 19/2016 वि०

शासन)

पूर्व पृष्ट से :-

यूर्व युग्छ पर निर्देशायसार प्रभार अमिन् गरी ने मिन्द्रिय अमित अमित की २-90 भीतयां अवसीयमार्ग्यार्थ | हर-वाव

कारवा नारी के सब कृषणा कारवा नारी के सब कृषणा

का विभाग

5-3-16

17.64365 Jan-1 Fedire 68 1-31-16...

D) श्रामचंद्राली

10

छब्बीस-२ सचिवालय

ONe-120/16/24-

JRm) 9/3/16

776/054(55)

विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005— कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेज, जबलपुर। (रिट पिटी. क. 19/2016 वि० शासन)

--00--

पूर्व पृष्ठ से :-

अवह साचव उप क्राचिव

3,41 किंकिली

9-3-2016 2018 9-3-76

महासम् भीपाल.

पर्रकी है।

ग्रह खिमा

(77.55)

The

---00---

्र **छब्बीस−२** सचिवालय विषय:

अपील धारा 14 दि प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीस (रेग्युलेशन) एक्ट 2005— कामर्शियल सिक्युरिटी सर्विसेज, जबलपुर। (रिट पिटी. क. 19/2016 वि० शासन)

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-